संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल– 462004

ME/M.Tech. & M.Pharmacy

/ / सूचना / /

विषयः– सत्र 2010–11, से प्रारम्भ होने वाली नवीन शाखा (ब्रांच), संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप संबन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने संबन्धी ।

संदर्भः– 1. राजपत्र दिनांक 20 मार्च 2009

2. पत्र क्रमांक एफ–5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/2010/1461 दिनांक 10/06/2010

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा 15 अप्रैल 2008 को प्रदेश के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रकाशित नियम एवं दिनांक 20 मार्च 2009 को प्रकाशित संशोधन के अन्तर्गत नियम 4 के उपनियम नियम 1(ख) में निम्न प्रावधान हैंः–

''यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्थाओं में स्थानों की संख्या में परिवर्तन होता हैं या विद्यमान संस्थाओं में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो उसे उस वर्ष की परामर्श (काउन्सलिंग) में सम्मिलित किया जा सकेगा, बशर्ते संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा पहले दौर की परामर्श (काउन्सलिंग) प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त कर ली हो।''

उपरोक्त प्रावधान एवं संदर्भ पत्र 2 के तारतम्य में यह स्पष्ट किया जाता हैं की सत्र 2010–11 से प्रारंभ होने वाली नवीन संस्थाओं एवं वर्तमान संस्थायें जिनकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि या नवीन पाठ्यक्रम की स्वीकृति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त हो चुकी हैं, नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 28 अगस्त, 2010 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उन्हें आवंटन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जावेगा।

एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 31 अगस्त, 2010 तक संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उन्हें आवंटन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जावेगा।

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति तथा
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश